

अनुलग्नक-ग: स्वामित्वाधीन मद प्रमाणपत्र

नियम 166 जीएफआर 2017 के अनुसार

एकल निविदा पूछ-ताछ: निम्नलिखित परिस्थितियों में एकल स्रोत से क्रय किया जा सकता है:

- (क) यह प्रयोक्ता विभाग की जानकारी में हो कि केवल एक फर्म विशेष ही अपेक्षित माल की विनिर्माता है।
- (ख) आपात स्थिति में, अपेक्षित माल को अनिवार्यतः किसी स्रोत विशेष से ही खरीदा जाना हो ऐसे निर्णय) का कारण रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तथा इस पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
- (ग) मशीनरी के मानकीकरण के लिए या कलके अनुकूल बनाए पुर्जों को विद्यमान उपस्कर संयोजनों- किसी सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह पर और इस पर सक्षम) जाने की दृष्टि से प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, अपेक्षित मद को केवल किसी चुनी हुई फर्म से ही खरीदा जाना अपेक्षित हो।

टिप्पणी: उप नियम 166(क) और 166(ग) के यथा-प्रयोज्य प्रावधान के तहत एकल स्रोत से माल का क्रय करने से पहले मंत्रालय/ विभाग द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में स्वत्वधारित वस्तु प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा-

- (क) मंगाए गए माल का विनिर्माण मैसर्स जाता है। द्वारा किया
- (ख) निम्नलिखित कारणों से कोई अन्य मेक या मॉडल स्वीकार्य नहीं है:

- (ग) प्रस्ताव पर के तहत वित्त अनुभाग की स्वीकृति
- (घ) सक्षम प्राधिकारी का के तहत अनुमोदन

दिनांक सहित हस्ताक्षर

हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष

मांगकर्ता अधिकारी का पदनाम

दिनांक सहित कार्यालय की मोहर

PROPRIETARY ARTICLE CERTIFICATE

As per Rule 166 GFR 2017 –

Single Tender Enquiry. Procurement from a single source may be resorted to in the following circumstances: -

- i. It is in the knowledge of the user department that only a particular firm is the manufacturer of the required goods.
- ii. In a case of emergency, the required goods are necessarily to be purchased from a particular source and the reason for such decision is to be recorded and approval of competent authority obtained.
- iii. For standardisation of machinery or spare parts to be compatible to the existing sets of equipment (on the advice of a competent technical expert and approved by the competent authority), the required item is to be purchased only from a selected firm.

Note: Proprietary Article Certificate in the following form is to be provided by the Ministry/Department before procuring the goods from a single source under the provision of sub **Rule 166 (i) and 166 (iii)** as applicable.

- 1. The indented goods are manufactured by M/s.....
- 2. No other make or model is acceptable for the following reasons:

- 3. Concurrence of finance wing to the proposal vide :
- 4. Approval of the competent authority vide :

Signature with date

Signature, Head of the Department

Designation of Indenting Officer

With Office seal with Date: